मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउन्सिल,

(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अध्याय 5 अन्तर्गत,म.प्र.शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग,मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्र.F.6-12/98/A-XI, दिनांक 10.01.2007 से एवं माध्यस्थम और सूलह अधिनियम 1996 (1996 का संख्यांक 26) के सुसंगत कृत्यों के पालन हेतु गठित।)

उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश।
विन्ध्याचल भवन, भोपाल।,

जावक क्रमांक 409-13
भोपाल, दिनांक 23/7/2020

प्रकरण क्रमांक एम.एस.ई.एफ.सी / 683 / 2015

आवेदक
M/s Distinct Polymers,
104/ E-2, Sector – B,
Industrial Area Sanwer Road,
Indore – 452015 (M.P.)

विरूद्ध अनावेदकगण:–

1. M/s Kelli Food & Beverages Pvt. Ltd.,
69/1, Lalpur, Dews Road
Ujjain – 456001M.P.
2. M/s Kelli Food & Beverages Pvt. Ltd.,
Mr. Varun Om Jawa, Director,
No. 3156, 1st Floor, 12th Main Indiran Nagar,
Bangalore – 560098
3. M/s Kelli Food & Beverages Pvt. Ltd.,
Mr. Vitthal Das Nagar, Director,
27, Mahadaji Marg Nagar,
Ujjain – 456010 (M.P.)
4. M/s Kelli Food & Beverages Pvt. Ltd.,
Mr. Sunil Kumar Maheshwari, Director,
354, LIG II, Indira Nagar, Agar Road,
Ujjain – 456 006

अन्तिम सुनवाई दिनांक 14.07.2020

माध्यस्थम आदेश दिनांक 22.07.2020

आवेदक ने दिनांक 08.02.2016 को इस काउन्सिल के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया, आवेदक द्वारा अनावेदकगणों के उपर मूलधन राशि रू. 93,302/– एवं ब्याज राशि रू. 37,372/– कुल बकाया राशि रू. 1,30,674/– है, जिसमें निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया :–

आवेदक को प्रदाय आदेश मौखिक रूप में दूरभाष द्वारा या आवेदक प्रतिनिधि को अनावेदक द्वारा दिए गए। अतः प्रदाय आदेश की छायाप्रति उपलब्ध नही है।

आवेदक द्वारा अनावेदक से प्राप्त मौखिक प्रदाय आदेशानुसार सामग्री के प्रदाय उपरांत बिल क्रमांक 55, दिनांक 29.05.2014, राशि रू. 46,018/– एवं बिल क्रमांक 56, दिनांक 25.05.2014 राशि रू. 47,284/– कुल राशि रू. 93,302/– भुगतान हेतु प्रस्तुत किये गये है।

.........2

आवेदक ने अनावेदक के निर्देशानुसार सामग्री का प्रदाय किया एवं अनावेदक के निर्देशित नियत स्थान पर प्रदायित सामग्री की स्वीकारोक्ति स्वरूप प्रदायित सामग्री के साथ भेजे गये बिल पर अनावेदक कंपनी की रबर की मोहर एवं अनावेदक प्रतिनिधी के हस्ताक्षर मौजूद है।

आवेदक द्वारा अनावेदक से बकाया राशि के भुगतान की कई बार मांग किए जाने के पश्चात अनावेदक द्वारा आवेदक को बकाया राशि रू. 93,302 के भुगतान हेतु रुपये 46,018 एवं 47,284 के पंजाब नैशनल बैंक के दो धनादेश क्रमांक 980993 एवं 980994 दिनांक 05.07.14 को दिए गए जो कि आवेदक द्वारा बैंक में प्रस्तुत करने के पश्चात अनावेदक के बैंक खाते में प्राप्त धन राशि ना होने के कारण अनादरित होकर वापस आ गए है। इन साक्ष्यो से अनावेदक को आवेदक द्वारा प्रदायित सामग्री के प्राप्त होने एवं आवेदक द्वारा मांग की गई राशि की पुष्टि होती है।

आवेदक एवं आनावेदक के मध्य प्रदाय एवं प्रदाय के भुगतान हेतु कोई भी परस्पर लिखित समझौता नही हुआ। प्रदाय दिनांक के तुरन्त बाद भुगतान किया जाना तय किया गया था एवं तय सीमा पर भुगतान न करने की ऐवज में मूल राशि पर विलम्बित अवधि का 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से चक्रवृत्ती ब्याज देना तय हुआ था।

क्रेता द्वारा भुगतान के लिए बकाया बिलो के विरूद्ध प्रदायित सामग्री के बारे में कभी भी कोई आपत्ति आवेदक को दर्ज नही कराई गई।

आवेदक द्वारा अनावेदक को प्रदायित सामग्री के विरुद्ध अप्राप्त संदाय की रकम रुपये 93,302/– पर दिनांक 31.12.15 तक का ब्याज रुपये 37,372/– कुल योग 1,30,674/– एवं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के तहत भुगतान दिनांक तक के ब्याज का दावा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत दावा आवेदन पत्र काउन्सिल के नोटिस क्रमांक 2339–2342, दिनांक 29.02.2016 से उत्तर प्रस्तुत करने हेतु अनावेदक को स्पीड पोस्ट से अनावेदकगणों को प्रेषित किया गया। अनावेदक क्रमांक–1 को प्रेषित वाद आवेदन पत्र सहित नोटिस लिफाफे पर अंकित टीप्पणी “लेने से इन्कार” सहित काउन्सिल को वापिस प्राप्त हुआ है तथा अनावेदक क्रमांक–2 को प्रेषित नोटिस भी वापिस प्राप्त हुआ है। अनावेदक क्रमांक–3 एवं 4 को प्रेषित नोटिस काउन्सिल को वापिस प्राप्त नही होने से तामिल हुआ है किन्तु अनावेदक द्वारा आवेदक के दावा आवेदन पत्र का कोई उत्तर प्रस्तुत नही किया गया।

प्रकरण सुनवाई दिनांक 16.06.2016, 21.12.2016, 15.03.2017, 27.01.2018, 18.07.2018, 27.08.2018, 05.10.2018, एवं दिनांक 14.07.2020 को नियत कर, उभयपक्षों को सुनवाई के सूचना पत्र जारी किये गये।

अनावेदक क्रमांक–1 को प्रेषित सुनवाई दिनांको के समस्त सुचना पत्र वापिस प्राप्त हुए, जिनके लिफाफों पर, “लेने से इन्कार” एंव "Refused" टीप्पणी अंकित है तथा अनावेदक क्रमांक–2

.........3

को प्रेषित सुनवाई दिनांक 27.01.2018 का सूचना पत्र वापिस प्राप्त हुआ, जिसके लिफाफे पर, ''लेने से इन्कार'' टीप्पणी अंकित है। अतः सूचना पत्रों की तामिली मान्य की जाती है।

अनावेदक क्रमांक—3 एवं 4 को प्रेषित सुनवाई के सूचना पत्र "Left" की टीप्पणी सहित वापिस प्राप्त हुए।

2. सुनवाई दिनांक 14.07.2020 को काउन्सिल द्वारा निर्णय लिया गया कि अनावेदक को दिनांक 31.05.2016 को प्रेषित नोटिस तामिल है। इसके अलावा अनावेदक को दिनांक 03.07.2020 को भेजा गया ई—मेल भी बाउन्स नही हुआ है। काउन्सिल स्टॉफ द्वारा उनसे संपर्क कर दिनांक 14.07.2020 की पेशी की सूचना भी दी गई, परन्तु वे वीडियो कान्फ्रेसिंग से अथवा इनपर्सन अनुपस्थित रहे। अतः उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते है। प्रकरण गुण—दोष के आधार पर आदेश हेतु नियत किया गया।

3. प्रकरण मे काउन्सिल द्वारा यह पाया गया कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत दावा आवेदन पत्र काउन्सिल के नोटिस क्रमांक 2339—2342, दिनांक 29.02.2016 से उत्तर प्रस्तुत करने हेतु अनावेदक को स्पीड पोस्ट से अनावेदकगणों को प्रेषित किया गया। अनावेदक क्रमांक—1 को प्रेषित वाद आवेदन पत्र सहित नोटिस लिफाफे पर अंकित टीप्पणी ''लेने से इन्कार'' सहित काउन्सिल को वापिस प्राप्त हुआ है तथा अनावेदक क्रमांक—2 को प्रेषित नोटिस भी वापिस प्राप्त हुआ है। अनावेदक क्रमांक—3 एवं 4 को प्रेषित नोटिस काउन्सिल को वापिस प्राप्त नही होने से तामिल हुआ है किन्तु अनावेदक द्वारा आवेदक के दावा आवेदन पत्र का कोई उत्तर प्रस्तुत नही किया गया।

4. आवेदक द्वारा प्रस्तुत दावा आवेदन पत्र एवं संलग्नक अभिलेखों का परीक्षण एव अवलोकन किया गया।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, इन्दौर द्वारा जारी अभिस्वीकृति क्रमांक IDTIC/MSME/12/5383, दिनांक 25.06.2012 के अनुसार आवेदक की इकाई Entrepreneurs Memorenddum Number 23 026 11 03023 PART-II दिनांक 25.06.2012 को पंजीकृत होकर, आवेदक की इकाई सूक्ष्म उद्यम है तथा आवेदक द्वारा Printing and Pouch Making का कार्य किया जाता है।

आवेदक एवं अनावेदक के मध्य विवाद का विषय, आवेदक के सूक्ष्म उद्यम में पंजीकृत होने के दिनांक 25.06.2012 के पश्चात का है। अतः आवेदक इस काउन्सिल में दावा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अधिकारिता रखता है।

आवेदक द्वारा अनावेदक को उनके मौखिक आदेश पर सामग्री के प्रदाय उपरांत, बिल क्रमांक 55, दिनांक 29.05.2014, राशि रू. 46,018/— एवं बिल क्रमांक 56, दिनांक 25.05.2014 राशि रू. 47,284/— कुल राशि रू. 93,302/— भुगतान हेतु प्रस्तुत किये गये है। प्रदायित सामग्री की पावती स्वरूप अनावेदक कंपनी की सील एवं हस्ताक्षर बिल पर अंकित है, जिससे अनावेदक कंपनी को

.........3

सामग्री प्राप्ति की पुष्टि होती है।

अनावेदक द्वारा प्राप्त की गई सामग्री के विरूद्ध देयको की राशि रू. 46,018 / — का चेक क्रमांक 980993 एवं राशि रू. 47,284 / — का चेक क्रमांक 980994, दिनांक 05.07.2014 आवेदक को दिये गये है, जो आवेदक द्वारा पंजाब नेशनल बैंक में भुगतान हेतु जमा कराने पर, अनावेदक के खाते में निधि अपर्याप्त है, के कारण बैंक द्वारा वापस किये गये है।

अनावेदक द्वारा भुगतान हेतु चेक दिये जाने से, आवेदक से सामग्री प्राप्त किये जाने की एवं चेक वापिस बाउंस होने से अनावेदक द्वारा प्राप्त की गई सामग्री का भुगतान नही किये जाने की पुष्टि होती है।

अनावेदक क्रमांक—1 को प्रेषित सुनवाई दिनांको के समस्त सुचना पत्र वापिस प्राप्त हुए, जिनके लिफाफों पर, ''लेने से इन्कार'' एंव **"Refused"** टीप्पणी अंकित है तथा अनावेदक क्रमांक—2 को प्रेषित सुनवाई दिनांक 27.01.2018 का सूचना पत्र वापिस प्राप्त हुआ, जिसके लिफाफे पर, ''लेने से इन्कार'' टीप्पणी अंकित है। अतः सूचना पत्रों की तामिली मान्य की जाती है एवं इससे स्पष्ट होता है कि अनावेदक जानबुझकर काउन्सिल के सूचना पत्र नही ले रहा है। यह स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत दावा, अनावेदक के संज्ञान में होते हुए भी, अनावेदक द्वारा आवेदक के दावे का खंडन / उत्तर प्रस्तुत नही किया है। अतः आवेदक द्वारा अनावेदक के विरूद्ध प्रस्तुत विलंबित संदाय राशि का दावा स्थापित होता है।

अतः सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा 15 के अनुसार सामग्री प्राप्ति दिनांक से अधिकतम 45 दिवस की समयावधि में अनावेदक द्वारा आवेदक को भुगतान किया जाना था। अनावेदक द्वारा आवेदक से अविवादित सामग्री प्राप्त करने के उपरांत नियत समयावधि में आवेदक को भुगतान नहीं किया गया है। अतः आवेदक, अनावेदक से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा 16 के प्रावधान अनुसार चक्रवृद्धि ब्याज सहित भुगतान पाने का अधिकारी है।

अतएव, ''म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउन्सिल नियम 2017'' के नियम—09 अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, काउन्सिल निर्णय देती है कि अनावेदक क्रमांक—1 M/s Kelli Food & Beverages Pvt. Ltd., 69/1, Lalpur, Dews Road Ujjain – 456001 (M.P.) 2.- M/s Kelli Food & Beverages Pvt. Ltd., Mr. Varun Om Jawa, Director, No. 3156, 1st Floor, 12th Main Indiran Nagar, Bangalore–560098 3.-M/s Kelli Food & Beverages Pvt. Ltd., Mr. Vitthal Das Nagar, Director, 27, Mahadaji Marg Nagar, Ujjain–456010 (M.P.) 4.-M/s Kelli Food & Beverages Pvt. Ltd., Mr. Sunil Kumar Maheshwari, Director, 354, LIG II, Indira Nagar, Agar Road, Ujjain–456006 (M.P.) द्वारा, संदाय राशि रू. 93,302 / — (रूपये तिरयानवें हजार तीन सौ दो मात्र) एवं इस राशि पर अपाईन्टेड–डे दिनांक 14.07.2014 से दिनांक 31.12.2015 तक की ब्याज राशि रुपये 37,372 / — कुल राशि रू. 1,30,674 / — (रूपये एक लाख तीस हजार छ सौ चोहत्तर मात्र) पर दिनांक 01.01.2016 से भुगतान दिनांक तक, के ब्याज का भुगतान आवेदक M/s Distinct Polymers, 104/ E-

.........5

2, Sector–B, Industrial Area Sanwer Road, Indore–452015 (M.P.) को आदेश पारित होने की सूचना प्राप्ति दिनांक से, 30 दिवस में किया जावे।

अनावेदक द्वारा समयावधि में भुगतान न करने पर, आवेदक, अनावेदक द्वारा उपरोक्तानुसार देय कुल राशि पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा 16 में वर्णित प्रावधान अनुसार भुगतान दिनांक तक, मासिक आधार पर, चक्रवृद्धि ब्याज, पाने का अधिकारी होगा।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा 19 में निहित आज्ञापक प्रावधान अनुसार, अनावेदक, पारित इस आदेश/अवार्ड के विरूद्ध अपील दिनांक तक की, कुल संगणित ब्याज सहित मूलधन राशि की 75 प्रतिशत राशि, सक्षम प्राधिकारी/अपील न्यायालय के समक्ष जमा कर, इस आदेश/अवार्ड के विरूद्ध अपील कर सकेगा।

प्रकरण में पारित आदेश की प्रति निःशुल्क उभयपक्षों को प्रदान की जावेगी। अभिप्रमाणित प्रति के लिए नियमानुसार सचिव, ''मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद'' भोपाल को आवेदन कर, प्रति पृष्ठ हेतु रू. 2/– के मान से लेखा शाखा में राशि जमा करना आवश्यक होगा।

उभयपक्ष अपना–अपना वाद स्वयं वहन करेंगे।

(दीपाली रस्तोगी)
उद्योग आयुक्त एवं
अध्यक्ष,
म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम
सुविधा परिषद, भोपाल।

(अनन्या विश्वास)
शासकीय सदस्य,
म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम
सुविधा परिषद, भोपाल एवं
सहयक प्रबंधक,
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, भोपाल।

(सी. मिंज)
शासकीय सदस्य,
म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम
सुविधा परिषद, भोपाल एवं
सहायक ~~प्रबंधक,~~ निदेशक
एमएसएमई विकास संस्थान, भोपाल।